भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 183

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया क्षेत्र हेतु नई मूल्‍य-निर्धारण नीति**

183. श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार:

श्री मनसुख एल. मांडविया:

श्री पुरूषोत्‍तम खोडाभाई रूपाला:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया क्षेत्र संबंधी नई मूल्‍य–निर्धारण नीति की वर्तमान स्थिति क्‍या है;

(ख) सरकार यूरिया क्षेत्र हेतु नई मूल्‍य-निर्धारण नीति को कब तक लागू करेगी और इसके लिए विशिष्‍ट समय-सीमा क्‍या है; और

(ग) क्‍या सरकार को यूरिया क्षेत्र हेतु नई मूल्‍य-निर्धारण नीति के संबंध में वित्‍त, कृषि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालयों से टिप्‍पणियां प्राप्‍त हुई हैं एवं यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (ग):** फरवरी 2007 में सीसीईए द्वारा नई मूल्‍य-निर्धारण योजना के चरण-।।। (एनपीएस-।।।) के लिए नीति अनुमोदित की गई और 1.10.2006 से 31.3.2010 तक लागू की गई। एनपीएस के चरण-।।। की नीति के प्रावधानों को एनपीएस-।।। की वैधता अवधि अर्थात् 31.3.2010 से अगला आदेश होने तक आगे बढ़ा दिया गया है। पीएमओ के अनुमोदन से एनपीएस के चरण-।।। से बाहर विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए नीति निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए एक नया जीओएम गठित किया गया जिसकी बैठक 5 जून, 2013 को हुई। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि नई मूल्‍य योजना से बाहर विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए नीति तैयार करने से पहले मुदृदों पर और विचार-विमर्श आवश्‍यक है। इसलिए विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए चरण-।।। से अलग नीति अभी जीओएम के विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*